कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी फतेहगढ़।

पत्रांकःसीएफओ/पे0पम्प–5/2021 दिनांकः सितम्बर, 6, 2021

सेवा में,

अपर जिला मजिस्ट्रेट
जनपद–फर्रूखाबाद।

विषयः– मैनेजर, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड डी–1, इंडस्ट्रियल एरिया, साइट–बी, पोस्ट मथुरा रिफाइनरी, मथुरा–281005 रजिस्टर्ड आफिस– भारत भवन, 4–6 करीमभाय रोड, बैलार्ड एस्टेट, पोस्ट बाक्स सं0 688, मुम्बई–400001 द्वारा फर्रूखाबाद–अलीगंज रोड, खसरा संख्या– 659ए 660क, 666ख ग्राम खारबन्दी भीखमपुर, तहसील सदर जनपद फर्रूखाबाद पर रिटेल आउटलेट के नये प्रेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने सम्बन्धी आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपर जिला मजिस्ट्रेट के पत्रांक 1470/जे0ए0–बीस–वि0(अ0प्र0पत्र–20) दिनांकः 20.7.2021 के अनुपालन में साथ संलग्न मानचित्र के आधार पर निरीक्षण कराया गया तो **अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, फायर स्टेशन फतेहगढ़** की आख्या के अनुसार विवरण निम्नवत है।

1. प्रस्तावित स्थल **खसरा संख्या– 659ए, 660क, 666ख ग्राम खारबन्दी भीखमपुर, तहसील सदर, जनपद– फर्रूखाबाद** पर स्थित है।
2. प्रस्तावित स्थल पर 15 कि0ली0 क्षमता तथा 20 कि0ली0 के 02 अदद एचएसडी टैंक स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
3. प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई विद्युत लाइन नहीं गुजर रही है।

प्रस्तवित स्थल की संरचना

कुल भूखण्ड एरिया– 1225 वर्ग मीटर।

पुहँच मार्गः– प्रस्तावित स्थल के 12 मीटर चौडाई के रोड़ पर जिस पर अग्निशमन वाहन सुगमता से पहुँच सकते हैं।

प्रवेश द्वारः– प्रस्तावित स्थल के सामने रोड है तथा प्रवेश एवं निकास हेतु खुला मार्ग प्रस्तावित है।

सेटबैकः– प्रस्तावित स्थल के सेटबैक प्रैट्रोलियम रूल्स के अनुसार प्रस्तावित है।

चतुर्दिकः– प्रस्तावित स्थल के सामने रोड एवं शेष तीनों ओर ओपन लेंड दशार्यी गयी है।

चतुर्दिकः– प्रस्तावित स्थल के सामने रोड एवं शेष तीनों ओर ओपन लेंड दशार्यी गयी है।

प्रस्तावित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं जीवरक्षा प्रणालीः– प्रस्तावित स्थल पेट्रोल पम्प पर प्रैट्रोलियम रूल्स 2002 के मानक के अनुसार अग्निसुरक्षा सम्बन्धी निम्नवत प्राविधान किये जाते हैं।

1. प्रस्तावित स्थल पर निकास लाइटनिंग/वेन्टीलेशन की व्यवस्थाएं एन0बी0सी0 के मानको के अनुरूप होनी चाहिए।
2. पैट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण तथा अन्य उपकरणों जहां अर्थिंग की व्यवस्था की आवश्यकता हो, पैट्रोलियम रूल्स 2002 तथा अन्य सुरक्षा व्यवस्था ओआईएसडी–225 के अनुरूप होनी चाहिए।
3. विद्युत के डिस्ट्रीब्यूशन एवं कन्ज्यूमर यूनिट में एम0सी0बी0(मेनियेचर सर्किट ब्रेकर) आईएस–8828 के अनुरूप होनी चाहिए।
4. प्रत्येक डिस्पेन्सिंग यूनिट हेतु फायर एक्सटिंग्यूसर ए0बी0सी0 टाइप क्षमता 9 कि0ग्रा0– 02 अदद।

Anand 29/9/21

Sanjay Anand
[redacted]

5. प्रत्येक डिस्पेन्सिंग यूनिट हेतु फायर एक्सटिंग्यूसर डी0सी0पी0 टाइप क्षमता 10 कि0ग्रा-- 02 अदद।
6. प्रत्येक डिस्पेन्सिंग यूनिट हेतु फायर एक्सटिंग्यूसर सी0ओ0टू0 टाइप क्षमता 4.5 कि0ग्रा0--02 अदद।
7. ए0एफ0एफ0एफ0 फायर एक्सटिंग्यूसर ट्राली क्षमता 50 कि0ग्रा -- 01 अदद टैंक के पास।
8. फायर बकेट-- 12 अदद एवं बालू का अतिरिक्त भण्डारण।
9. बेल्चा/फावड़ा --1 अदद एवं वाटरजेल ब्लैंकिट-- 01 अदद।
10. धूम्रपान निषेध का बोर्ड-- आवश्यकतानुसार।
11. आपातकालीन सेवाओं के टेलीफोन नम्बरों को प्रदर्शित किया जाय।
12. पैट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण के समस्त निमार्ण कार्य व उपकरण पैट्रोलियम रूल्स के मानकों के अनुसार होने चाहिए।
13. कोई भी ऐसा पदार्थ जो आग या स्पार्क पैदा करता हो का भण्डारण स्थल पर ले जाना सर्वथा वर्जित होगा।
14. प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई विद्युत लाइन नहीं गुजरनी चाहिए।
15. मानचित्र में अकिंत शर्तों व निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
16. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का संचालन किये जाने से पूर्व उपरोक्तनुसार पैट्रोलियम रूल्स एवं एन0बी0सी0 में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं का अधिष्ठापन कराकर उनका अग्निशमन विभाग से परीक्षण कराकर अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, तदोपरान्त ही परिसर का प्रयोग अनुमन्य होगा।

अतः उपरोक्तानुसार संस्तुति आख्या उपरोक्त शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन किये जाने के साथ खसरा **खसरा संख्या-- 659ए 660क, 666ख ग्राम खारबन्दी भीखमपुर, तहसील सदर जनपद फर्रूखाबाद** पर **भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड डी--1, इंडस्ट्रियल एरिया, साइट--बी, पोस्ट मथुरा रिफाइनरी, मथुरा--281005 रजिस्टर्ड आफिस-- भारत भवन, 4--6 करीमभाय रोड, बैलार्ड एस्टेट, पोस्ट बाक्स सं0 688, मुम्बई--400001** द्वारा प्रस्तावित पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। यदि मानचित्र में किसी तथ्य को छिपाने एवं उपरोक्त मानकों के अनुसार निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

(वी0पी0त्रिपाठी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
फतेहगढ़। 6/9/21

Anand 29/9/21
Sanjay Anand
Territory Manager (Retail)
Bharat Petroleum Corporation Ltd
Bareilly Territory